



क्रमांक: RJ/2017/राजस्व विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.) /24624331842
दिनांक: 02-09-2024
आवेदक/पतिवार के मुखिया का जनआधार कार्ड संख्या : 5001762754

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री अनिता मीना पुत्र/पुत्री श्री मुरारी लाल मीना, माता का नाम - श्रीमती मौसमी देवी, गांव/नगर बासलक्ष्मीपुरा, खेड़लाखुर्द, लालसोट, दौसा जिला/डिवीजन दौसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में **9 MINA (9 मीना)** जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुधियां (स्वोपधन) आदेश 1956, बम्बई फुर्कटन अधिनियम 1960, फ्रेज़र फुर्कटन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (फुर्कटन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (स्वोपधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (स्वोपधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अजमन तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति, आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति, आदेश 1962, संविधान (पांडचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोआ, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

सुश्री अनिता मीना गांव/नगर बासलक्ष्मीपुरा, खेड़लाखुर्द, लालसोट, दौसा जिला / डिबीजन दौसा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

1. यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का जहाँ बही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
2. राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एस.21(37) एस.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
3. उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-दस्तावेजों के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजों की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
4. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल आवेदन पत्र एवं सम्बंधित दस्तावेजों जिले के सम्बंधित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
5. यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
6. प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन www.emitra.rajasthan.gov.in पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या : 240642851240

उपखण्ड अधिकारी, लालसोट, (दौसा)

Signat

Digitally signed by
NARENDRA KUMAR
MEENA

Date: 2024-09-02 16:45:12

Reason: Approved
Location: Rajasthan

